



Neutral Citation No. - 2026:AHC:178615

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7886

सन् 2026

सत्यम

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

अखिलेश पांडे

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 21 सन् 2026 के तहत धारा 352, 351(3), 126(2), 109 बीएनएस, थाना - मंगलपुर, जिला रमाबाई नगर/कानपुर देहात के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह बेगुनाह है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक पर केवल ललकारने का आरोप है, जबकि सह-अभियुक्त नीरज यादव पर घायल व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने का आरोप है। इस न्यायालय की एक समकक्ष पीठ ने आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 16941 सन् 2026 में दिनांक 19.05.2026 को पारित आदेश के तहत सह-अभियुक्त नीरज यादव को जमानत प्रदान की गई है। चोट की रिपोर्ट के अनुसार, घायल व्यक्ति की दाहिनी जांघ पर गोली लगने से चोट आई थी, जो सह-अभियुक्त नीरज यादव द्वारा पहुंचाई गई थी। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की आज्ञादी की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया है।

5. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. **सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और एक अन्य, (2020) 5 एससीसी 1** प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना भी शामिल है, की उसकी संभावना, न्याय से बचने की संभावना, जैसे कि देश छोड़कर चले जाना आदि पर विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि अग्रिम जमानत देनी है या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अग्रिम जमानत देनी है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

7. **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय केसेस 676**

प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संवैधानिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हिरासत में पूछताछ ज़रूरी हो, या अपराध जघन्य प्रकृति का हो, या गवाहों को प्रभावित करने या अभियुक्त के भागने की संभावना हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, गिरफ्तारी करने की शक्ति और उस शक्ति का इस्तेमाल करने के औचित्य के बीच फ़र्क करना ज़रूरी है। अगर गिरफ्तारी को एक आम बात बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर विवेचना अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त भाग जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा, और अभियुक्त ने असल में विवेचना में पूरा सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है।

8. अग्रिम ज़मानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार करते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना यह माना जाता है कि अग्रिम ज़मानत का प्रकरण बनता है।

9. तदनुसार, अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र को इन निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i) अगर इस प्रकरण में शामिल आवेदक - **सत्यम** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें संबंधित थाने के थाना प्रभारी या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे।

(ii) आवेदकगण विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी का सहयोग करेंगे और विवेचना किए जाने के उद्देश्य से जब भी आवश्यक हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा।

(iii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके, और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सके।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

24 अगस्त, 2026

ए.पी. पांडे

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।